

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1-2**

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना अन्तर्गत रूपये 886.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रि के छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रूपये 276.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,76,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 5-12**

जिला चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थानों में नियमित कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं शिष्यवृत्ति के लिये कुल रूपये 131.44 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 800 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 13**

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत शासन से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु रूपये 426.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 14**

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों व उपकरणों के जीवन्त प्रदर्शन के लिए 04 नग हैवी ड्यूटी व्हील टाइप ट्रैक्टरों के क्रय हेतु रूपये 28.60 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 15-16**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु राशि रूपये 899.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपय 8,99,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 17**

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत यूरो मुद्रा मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप रूपये 192.51 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 18**

चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु इस वर्ष रूपये 72.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4225**

**मद कमांक 19**

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत शासन से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु रूपये 96.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 20**

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार { अनुच्छेद 275( 1) } अंतर्गत राशि रूपये 152.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,52,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4701**

**मद कमांक 21**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कोसारटेड़ा परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले भूमि के भू-स्वामियों को अतिरिक्त रूप से विशेष अनुदान दिया जाना है । इस पर रूपये 332.00 लाख का व्यय संभावित है, जो विभागीय बचत से किया जाएगा । यह एक नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 100/- के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 22**

मान. न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में रूपये 20.95 लाख के डिक्टी धन का भुगतान किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,95,000 अनुदान की आवश्यकता है ।